Email: directoracad.cbse@nic.in
Webite: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23212603
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

"ShikshaSadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./शै./सं.स.एवं प्र.(शै.एवं प्र.)/2015 **परिपत्र संख्या. शैक्षणिक-41/2015**

दिनांक: 20 जुलाई, 2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय: विद्यालयों द्वारा एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों से अलग अन्य पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग तथा निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का अत्यधिक प्रयोग।

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,

जैसा कि आपको विदित है कि के.मा.शि.बो. से सम्बद्ध सभी विद्यालयों में आठवीं कक्षा तक एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों का प्रयोग होता है तथा कक्षा IX से XII तक के.मा.शि.बो. द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अनुपालन होता है।

बोर्ड को प्राय: बच्चों और अभिभावकों पर अत्यधिक पाठ्य पुस्तकों को खरीदने के लिए बनाए गए दबाव के सम्बन्ध में शिकायतें और प्रतिवेदन प्राप्त होती हैं। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट **'बोझ रहित शिक्षा'** में बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ और तनाव कम करने हेतु अपनी सिफारिशें की हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 ने भी विद्यालयों में बच्चों के जीवन को आनन्दायक बनाने हेतु कई पाठ्यचर्या और क्रमबद्ध सुधारों पर बल दिया है। इन सुधारों में से एक सुधार पाठ्यपुस्तकों की संख्या को कम करना था।

इन सभी प्रयासों के बावजूद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई विद्यालय, बच्चों और उनके अभिभावकों पर अधिकाधिक पाठ्यपुस्तकें खरीदने-मुख्य रूप से एन.सी.ई.आर.टी. से हट कर अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें खरीदने का दबाव डाल रहे हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है और के.मा.शि.बो. बड़े स्पष्ट रूप से अपना पक्ष दोहरना चाहता है कि अधिक पाठ्यपुस्तकें निर्धारित करना और बच्चों तथा अभिभावकों पर उन्हें खरीदने के लिए दबाव देना एक अस्वस्थ तरीका है जो कि शैक्षणिक दृष्टि से भी गलत है, विशेष रूप से जबकि एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तके बोर्ड की परीक्षाओं के प्रश्नों का आधार हैं और के.मा.शि.बो. का प्रश्नपत्र विषय से सम्बन्धित पाठ्यक्रम के अनुसार ही बनाया जाता है।

बोर्ड के संज्ञान में लाया गया है कि विद्यालय, बच्चों को एन.सी.ई.आर.टी. से अलग निजी प्रकाशकों की पुस्तके खरीदने के लिए विवश कर रहे हैं, जो महंगी, बड़ी और अवैज्ञानिक ढंग से तैयार की गई हैं। विद्यालयों का यह व्यवहार विद्यालयों की शिक्षण-अधिगम गतिविधियों को बिगाड़ रहा है और बच्चों पर अनावश्यक दबाव बना रहा है।

अत: इस बात को पुन: दोहराया जाता है कि विद्यालय के अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त पुस्तकें खरीदने के लिए अभिभावकों को विवश न किया जाए।

भवदीय,

हस्ताक्षरित/-
डी०टी० सुदर्शन राव
संयुक्त सचिव एवं प्रभारी (शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण)

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10. अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
11. निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैंट-110010.
12. सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु।
13. एसोसिएट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
14. संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध, के.मा.शि.बो.)
15. सभी एसोसिएट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
16. सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
17. सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
18. सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
19. उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
20. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
21. जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
22. हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
23. अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
24. सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
25. परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के के निजी सचिव
26. निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
27. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

संयुक्त सचिव और प्रभारी (शैक्षणिक और प्रशिक्षण)